न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास– डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –13/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/14

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
अब्दुला पुत्र हसन मोहम्मद मुसलमान, निवासी कुमारी तहसील व जिला नागौर।		नायब तहसीलदार नागौर राज.

उपस्थिति:–
1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री मामराज गुणपाल।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय :: दिनांक :–29.08.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 56/2022 सरकार बनाम अब्दुला में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.01.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का कुमारी द्वारा अपीलांट के विरूद्व तहसील कार्यालय नागौर में इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि अपीलांट/गेर सायल ने मौजा कुमारी तहसील नागौर के खसरा नं. 258 रकबा 0.3804 हैक्टेयर किस्म गे.मु. मगरा भूमि पर संवत 2079 में मेड़ बना कर अतिक्रमण किया है,उक्त रिपोर्ट पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 9.12.2022 को प्रकरण का जवाब मय दस्तावेज पेश किये जाने पर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में यह कहा गया कि आगामी पेशी की बाद में सूचना दे दी जायेगी, लेकिन अपीलांट द्वारा जवाब पेश किये जाने के दिन ही अपीलांट की अनुपस्थिति में बाद में मनमर्जी से अपीलांट व उसके अधिवक्ता की बहस सुने बिना तथा पटवारी हल्का आदि के बयान लिये बिना तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुऐ व जवाब के तथ्यो को इंकार किये बिना विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 9.12.2022 को बेदखली व जुर्माना का अपीलांट के विरूद्व पारित कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि अपीलांट के विरूद्व पटवारी हल्का ने जो अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट पेश की थी उसमें संवत 2079 में अपीलांट का नया कब्जा बताया गया है, जबकि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब व दस्तावेज पेश किये उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर 50 वर्षो पूर्व से अपीलांट व उसके परिवार का मौके पर कब्जा कास्त से चला आ रहा हैं।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में खुलासा तथ्य दर्ज कर निवेदन किये जाने के उपरान्त भी उन तथ्यों पर निर्णय में जानबूझकर विवेचन नहीं करने के कारण श्रीमान के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रकट करते हुऐ निवेदन है कि सरहद मौजा कुम्हारी तहसील नागौर के खसरा नं. 258 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म जमीन बारानी मगरा पर अपीलांट का कोई नया कब्जा नहीं है बल्कि कदीमी समय से यानि संवत 2020–21 से अपीलांट के पिता हसन मोहम्मद का कब्जा काश्त रहा व वर्तमान

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

में अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त रहता चला आने से व जमीन मौके पर काबिल काश्त होने के कारण अपीलांट नियमन का अधिकारी हुआ, रहा व है तथा आस पास के अन्य लोगो को इस किस्म की भूमि का नियमन किया हुआ है। यहां यह तथ्य भी दर्ज करना आवश्यक होगा कि इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलांट के पिता हसन मोहम्मद के विरूद्ध धारा 91 राज० ले. रे. एक्ट का नोटिस दिया गया था जिस पर जवाब व वास्तविक तथ्य तत्कालीन तहसीलदारजी के समक्ष पेश किये थे व उक्त भूमि को नियमन करने का निवेदन किया व नियमन का हकदार होने के कारण न्यायालय तहसीलदार, नागौर ने प्रकरण संख्या 791/ 84 में दिनांक 20.9.1984 को निर्णय पारित कर आदेश दिया कि गेर सायल ने अपने हक में संवत 2031 से 2038 की गिरदावरी की नकल पेश की, जिसमें गेर सायल का पुराना कब्जा होने की पुष्टि होती है व गेर सायल हसन मो. ने श्री अनवर के बयान करवाये जो भी कब्जा उस समय 10–12 साल पुराना होना बताया, पटवारी हल्का के बयान लिये गये, पटवारी ने बयानो में बताया कि गेर सायल का पुराना कब्जा है व खातेदारी में 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि है,उसके चिपता ही यह रकबा आया हुआ है व सार्वजनिक आपति नहीं है, ऐसी स्थिति में गेर सायल को मुतनाजा भूमि से बेदखल करना उचित प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा राजकीय परिपत्र दिनांक 14.4.77 के अन्तर्गत मौजा कुमारी के खसरा नं. 258 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म जमीन मगरा गेर सायल के हक में नियमन करने की सिफारिश की जाती है तथा पत्रावली सलाहकार समिति की सेवा में प्रेषित हो। उक्त आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जवाब के साथ पेश की थी इसके बावजूद इस संबंध में कोई खुलासा विवेचन, विश्लेषण किये बिना व इनको मानने या नहीं मानने का कोई कारण दर्ज किये बिना ही सरसरी तौर पर ही निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलांट को बेदखली का आदेश कर दिया है जो कतई विधि सम्मत नहीं है व अपीलांट के विधिक अधिकारो का हनन होने से निर्णय जैर अपील अपास्त/ निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

विद्वान तहसीलदार नागौर ने पूर्व में सम्पूर्ण तथ्यो, विधिक, बयानो व मौके पर कब्जा के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य को मध्य नजर रखते हुऐ नियमन की सिफारिश की थी लेकिन उसके बाद आज दिन करीब 50 साल से अधिक का समय हो चुका है, अभी तक उसकी पालना नहीं हुई है व खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं हो सकी है। अपीलांट बार–बार लगातार आवेदन पेश करता रहा मगर उसे हर बार आश्वासन ही दिये जाते रहे है,कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी हैं। इस संबंध में प्रशासन गांवो के संग अभियान में भी अपीलांट द्वारा खातेदारी दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को भी पूर्व में प्रार्थना पत्र पेश किया गया। इस प्रकार उपरोक्त सारे तथ्यो की पटवारी हल्का को जानकारी होते हुए भी गलत रिपोर्ट पेश कर धारा 91 का नोटिस दिलवाया था व जवाब में अपीलांट ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी व इस खसरे के संबंध में पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है तो पुनः उसी न्यायालय द्वारा उसी धारा के तहत उसी खसरे के संबंध में नोटिस नहीं दिया जा सकता था व मामला धारा 10 सीपीसी के अनुसार बाधित होते हुए भी व ऐसी आपति जवाब के जरिये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाने के बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर विधिक प्रावधानो की अवहेलना की है जिससे भी निर्णय जैर अपील कतई विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने समय समय पर उक्त पीढियो पुरानी भूमि पर लाखो रूपये खर्च करके उसका सुधार किया है एवं भूमि को कास्त योग्य बनाया हैं। वर्तमान में भूमि मौके पर मगरा के रूप में कतई काम नहीं आ रही है तथा उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में भी नहीं आती है तथा पुराना कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्य से साबित था व है, इसके बावजूद संवत 2079 का नया कब्जा मानकर निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील विधि विरूद्ध होने से अपास्त/निरस्त/संशोधित किया जाकर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

उक्त आराजी अपीलांट के नाम नियमन करने हेतु उचित आज्ञा/आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 258 रकबा 0.3804 हैक्टयर किस्म गै.मु. मगरा की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का कुमारी की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो पूर्णतया सही है। अपीलान्ट का कथन हैं कि खसरा नम्बर 258 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म भूमि मगरा पर संवत् 2020–21 से अप्रार्थी के पिता हसन मोहम्मद एवं वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है। इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार,नागौर ने प्रकरण संख्या 791/84 में दिनांक 20.09.1984 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता के हक में नियमन करने की सिफारिश की जाकर पत्रावली सलाहकार समिति को प्रेषित की है। परन्तु उक्त संबंध में अपीलान्ट ने उक्त भूमि का सलाहकार समिति द्वारा नियमन कर दिया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जब उक्त भूमि का अपीलान्ट अथवा उसके पिता के पक्ष में विधिवत नियमन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमण ही है। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इसलिए अपीलान्ट अतिक्रमी है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया हैं।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम कुमारी के खसरा नम्बर 258 रकबा 0.3804 हैक्टयर किस्म गै.मु. मगरा की भूमि पर मेड़ बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का कुमारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक कुमारी की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण संख्या–56/2022 सरकार बनाम अब्दुला दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया हैं। अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब भी प्रस्तुत किया है। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 09.12.2022 को पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल करने आदि का आदेश पारित किया है। उक्त संबंध में अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में एवं दौराने बहस कथन किया है कि खसरा नम्बर 258 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म भूमि गै0मु0 मगरा पर संवत् 2020–21 से अप्रार्थी के पिता हसन मोहम्मद एवं वर्तमान में अपीलान्ट का कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है। इस प्रकरण के संबंध में पूर्व में अपीलान्ट के पिता के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, नागौर ने प्रकरण संख्या 791/84 में दिनांक 20.09.1984 को निर्णय पारित कर उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता के हक में नियमन करने की सिफारिश की जाकर पत्रावली सलाहकार समिति को प्रेषित की है। अपीलान्ट के उक्त कथन के संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट को उक्त भूमि का सलाहकार समिति द्वारा नियमन कर दिया गया हो, ऐसी कोई साक्ष्य यथा राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं की है, जब उक्त भूमि का अपीलान्ट अथवा उसके पिता के पक्ष में विधिवत नियमन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा अतिक्रमी के रूप में ही माना जायेगा। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/ 2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** चूंकि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है एवं सलाहकार समिति द्वारा उक्त विवादित भूमि का अपीलान्ट अथवा अपीलान्ट के पिता के पक्ष में नियमन कर दिया गया हो ऐसा कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा सम्वत् 2079 में सरकारी भूमि गै0मु0 मगरा पर जरिऐ मेड़ अतिक्रमण किया गया है तथा नायब तहसीलदार द्वारा उसे अतिक्रमी मानते हुये जो निर्णय पारित किया हैं,उस निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक 09.12.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार,नागौर को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर